

उत्तर प्रदेश पर्यटन
सी-13, विपिन खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ

आवश्यक सूचना

उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड द्वारा संचालित पर्यटक आवासगृहों/होटल/मोटल आदि के अनुरक्षण एवं रख-रखाव सम्बन्धी सिविल एवं इलेक्ट्रिकल कार्यों को अधिकतम रू0-5.00 लाख की सीमा के अन्तर्गत आवश्यकता एवं नियमानुसार कराये जाने हेतु केन्द्र/राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों आदि के अभियन्त्रण विभागों में पंजीकृत अनुभवी इच्छुक ठेकेदार/फर्म से इम्पैनलमेन्ट हेतु आवेदनपत्र आमन्त्रित किये जाते हैं। आवेदनपत्र, नियम शर्तों सहित रू0-200.00 नकद भुगतान कर दिनांक 30-10-2007 तक कार्यालय दिवस में पर्यटन भवन के तृतीय तल स्थित कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं एवं फर्मों/ठेकेदार के आवेदनपत्र कार्यालय में दिनांक 31.10.2007 की सायं 4.00 बजे तक प्राप्त किये जायेंगे। एक अथवा समस्त आवेदनपत्र बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड को होगा।

संयुक्त निदेशक पर्यटन
उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय

उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लि0
पर्यटन भवन, तृतीय तल सी-13, विपिन खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ

आवेदनपत्र का प्रारूप

फर्म द्वारा चयनित पर्यटन परिक्षेत्र का नाम -----

- 1- फर्म का नाम -----
- 2- कार्यालय का पता एवं दूरभाष सं0- -----

- 3- ठेकेदार/फर्म के राज्य/केन्द्र सरकार -----
के विभागों, प्राधिकरण, निगम, परिषद में
पंजीकरण का विवरण
(क) जिस विभाग में पंजीकरण हो उसका नाम -----
एवं पता -----
(ख) पंजीकरण संख्या एवं तिथि -----
(ग) वर्तमान में पंजीकरण की वैधता का प्रमाणपत्र -----
संलग्न किया जाये
- 4- व्यापारकर विभाग में पंजीकरण संख्या, -----
तिथि, जनपद, क्षेत्र का विवरण -----
एवं वर्तमान में पंजीकरण की वैधता
(प्रमाणपत्र संलग्न किया जाये)
- 5- आयकर विभाग की स्थायी -----
पंजीयन के प्रमाण हेतु फर्म का
पैन/टैन नं0 (प्रमाणपत्र संलग्न किया जाये)
- 6- फर्म के स्वामी का नाम एवं पता -----

- 7- फर्म के अधिकृत कार्यकारी का नाम -----
एवं पता -----
- 8- ठेकेदार/फर्म द्वारा विगत चार वर्षों में
सम्पादित कराये गये (सिविल/इलेक्ट्रिकल सम्बन्धी)
कार्यों का विवरण

| क्र0 सं0 | कार्य का नाम | कार्य का स्वरूप (सिविल/इलेक्ट्रिकल) | सम्बन्धित विभाग का नाम एवं पता | कार्य की लागत |
|-------------|--------------|--|--------------------------------------|------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| क्र० सं० | कार्य का नाम | कार्य का स्वरूप (सिविल/इलेक्ट्रिकल) | सम्बन्धित विभाग का नाम एवं पता | कार्य की लागत |
|----------|--------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

9- फर्म के पास उपलब्ध उपकरण/मशीन का विवरण _____

10- ठेकेदार/फर्म द्वारा जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त अद्यावधिक हैसियत प्रमाणपत्र एवं चरित्र प्रमाणपत्र का विवरण _____

क- जनपद का नाम _____

ख- निर्गत होने की तिथि _____

ग- वैधता की तिथि _____

11- ठेकेदार/फर्म द्वारा प्रतिभूति राशि के रूप में रू०-5,000/- (रूपये पांच हजार मात्र) का बैंकर चेक/ड्राफ्ट का विवरण (जो उ०प्र० राज्य पर्यटन विकास निगम लि० के पक्ष में देय हो, संलग्न किया जाये)

क- बैंक/ड्राफ्ट जारी करने वाले बैंक का नाम एवं पता _____

ख- बैंक/ड्राफ्ट सं० एवं तिथि _____

12- ठेकेदार/फर्म को किए गए कार्य के सापेक्ष पुरस्कार/पारितोषिक/प्रशंसापत्र का विवरण (प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न की जाये) _____

(आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर)
सील/मुहरसहित

घोषणा

मेरे/हमारे _____ द्वारा उपरोक्त दी गयी सूचनायें एवं विवरण (प्रमाणपत्र आदि) सत्य हैं । यदि कोई सूचना/विवरण (प्रमाणपत्र आदि) गलत/त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरा/हमारा आवेदन निरस्त करने का अधिकार उ०प्र० राज्य पर्यटन विकास निगम लि० के पास होगा ।

(आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर)

उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लि० द्वारा संचालित
होटल / मोटल / रेस्टोरेन्ट / मार्गीय सुविधा

| क्रमांक | पर्यटन परिक्षेत्र | इकाई का नाम |
|---------|-------------------|---|
| 1- | आगरा | 1- पर्यटक आवासगृह, राजा की मण्डी, आगरा 2- होटल ताजखेमा, आगरा 3- गुलिस्ताँ पर्यटक काम्पलेक्स, फतेहपुर सीकरी, आगरा 4- पर्यटक आवासगृह, बटेश्वर 5- पर्यटक आवासगृह,सिविल लाइन्स, मथुरा 6- गोकुल रेस्टोरेन्ट, मथुरा 7- पर्यटक आवासगृह, वृन्दावन(संचालन प्रस्तावित) 8- पर्यटक आवासगृह, शिकोहाबाद |
| 2- | मेरठ | 1- हिन्डन मोटल, गाजियाबाद 2- पर्यटक आवासगृह, गढमुक्तेश्वर |
| 3- | बरेली | 1- पर्यटक आवासगृह, मुरादाबाद 2- होटल रोहिला, बरेली 3- पर्यटक आवासगृह, शाहजहाँपुर 4- होटल अलकनन्दा, हरिद्वार 5- पर्यटक आवासगृह पलिया, लखीमपुर खीरी(संचालन प्रस्तावित) 6- पर्यटक आवासगृह, बदर्युँ |
| 4- | लखनऊ | 1- होटल गोमती, लखनऊ 2- प्रियदर्शिनी मोटल एवं कैफेटेरिया, नवाबगंज, उन्नाव 3- नदिया किनारे रेस्टोरेन्ट, लखनऊ 4- पर्यटक आवासगृह, नीमसार 5- पर्यटक आवासगृह, संकिसा 6- पर्यटक आवासगृह, कन्नौज 7- पर्यटक आवासगृह, रनियों, कानपुर देहात 8- पर्यटक आवासगृह, तात्यागंज, कानपुर नगर 9- पर्यटक आवासगृह, रायबरेली |
| 5- | इलाहाबाद | 1- राही इलावर्त, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद 2- त्रिवेणी दर्शन, कीडगंज, यमुना किनारे, इलाहाबाद |
| 6- | फैजाबाद | 1- पर्यटक आवासगृह, बलरामपुर 2- पर्यटक आवासगृह, होटल साकेत, अयोध्या 3- यात्री निवास, अयोध्या 4- पर्यटक आवासगृह, श्रावस्ती 5- पर्यटक आवासगृह, जगदीशपुर, सुल्तानपुर |
| 7- | गोरखपुर | 1- पर्यटक आवासगृह, कुशीनगर 2- पर्यटक आवासगृह, दोहरीघाट 3- पर्यटक आवासगृह, सुनौली 4- पर्यटक आवासगृह, कपिलवस्तु |
| 8- | झाँसी | 1- पर्यटक आवासगृह, चित्रकूट 2- पर्यटक आवासगृह,वीरांगना, झाँसी 3- पर्यटक आवासगृह, महोबा |
| 9- | वाराणसी | 1- पर्यटक आवासगृह, गाजीपुर 2- पर्यटक आवासगृह, मिर्जापुर 3- पर्यटक आवासगृह, विन्ध्याचल 4- पर्यटक आवासगृह ,वाराणसी 5- पर्यटक आवासगृह ,सारनाथ |

शर्तें

- 1— ठेकेदार/फर्म आवेदनपत्र रू0-200/- नकद जमा कर पर्यटन भवन के तृतीय तल स्थित कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
- 2— आवेदनपत्र पर्यटन निगम कार्यालय से प्राप्त करने की तिथि 30 अक्टूबर, 2007 एवं कार्यालय में जमा करने की तिथि 31 अक्टूबर, 2007 की सायं 4.00 बजे तक निर्धारित है।
- 3— पर्यटन निगम द्वारा संचालित पर्यटक आवासगृहों, (संलग्न सूची अनुसार) होटल, मोटल आदि के अनुरक्षण एवं रख-रखाव सम्बन्धी सिविल एवं इलेक्ट्रिकल कार्य अधिकतम 5.00 लाख रुपये की सीमा के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार कराये जाने हेतु ठेकेदार/फर्म को पंजीकृत किया जाना है। उक्त पंजीकृत फर्मों से कार्य की दरें आमंत्रित कर नियमानुसार कार्य कराने हेतु निगम द्वारा निर्णय लिया जायेगा।
- 4— ठेकेदार/फर्म द्वारा जिस पर्यटन परिक्षेत्र की इकाईयों में अनुरक्षण/रख-रखाव सम्बन्धी कार्य करने हेतु इच्छुक हों उस पर्यटन परिक्षेत्र का नाम मुहरबन्द लिफाफे पर अवश्य अंकित किया जाये।
- 5— ठेकेदार/फर्म द्वारा आवेदनपत्र मुहरबन्द लिफाफे में समस्त वांछित अभिलेख/प्रमाणपत्रों के साथ प्रस्तुत किया जाये। लिफाफे के ऊपर स्पष्ट अक्षरों में फर्म/ठेकेदार का नाम, पता एवं दूरभाष सं0 अंकित की जाये।
- 6— ठेकेदार/फर्म को न्यूनतम 03 वर्ष पूर्व राज्य/केन्द्र सरकार के विभागों, प्राधिकरण, निगम, परिषद में पंजीकृत होने का प्रमाणपत्र एवं वर्तमान में पंजीकरण की वैधता का प्रमाणपत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
- 7— ठेकेदार/फर्म को व्यापार कर विभाग में पंजीकरण सम्बन्धी प्रमाणपत्र एवं वर्तमान में पंजीकरण की वैधता का प्रमाणपत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 8— विभिन्न सरकारी विभागों/प्रतिष्ठानों में भवन निर्माण से सम्बन्धित (सिविल/इलेक्ट्रिकल वर्क्स) निष्पादित किए गए कार्यों से सम्बन्धित कार्यादेश की प्रमाणित प्रति एवं सिविल तथा इलेक्ट्रिकल वर्क्स से सम्बन्धित उपलब्ध इक्यूपमेन्ट्स, टूल्स एवं मैन पावर का विवरण संलग्न किया जाये।
- 9— आयकर पंजीयन के प्रमाण हेतु फर्म का पैन/टैन नं0 का प्रमाण संलग्न किया जाये।
- 10— ठेकेदार/फर्म द्वारा विगत तीन वर्षों में कम से कम रू0-25.00 लाख की लागत का निर्माण कार्य सुचारुरूप से सम्पादित कराया गया हो। सम्पादित किए गए कार्यों से सम्बन्धित कार्यादेश की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 11— ठेकेदार/फर्म को आवेदन के साथ जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त हैसियत प्रमाणपत्र (कम से कम 5.00 लाख रुपये का) एवं अद्यावधिक चरित्र प्रमाणपत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।
- 12— आवेदनपत्र के साथ ठेकेदार/फर्म को प्रतिभूति राशि के रूप में रू0-5,000/-का बैंकर चेक/ड्राफ्ट, जो उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 के पक्ष में देय हो, संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
- 13— विलम्ब से प्राप्त एवं अपूर्ण आवेदनपत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
- 14— इम्पैनलमेन्ट वित्तीय वर्ष की समाप्ति अर्थात् 31 मार्च, 2008 तक के लिए मान्य होगा। आवश्यकतानुसार इम्पैनलमेन्ट की वैधता आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बढ़ाये जाने हेतु निगम द्वारा विचार किया जा सकता है।
- 15— उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 के पास बिना कारण बताये एक अथवा समस्त आवेदनपत्रों को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

